यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/197/2020 **दिनांक :** 02.12.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

देशभर के किसानों द्वारा सरकार के विरूद्ध आंदोलन

आप सभी को ज्ञात ही है केन्द्र सरकार द्वारा किसान–विरोधी कानून लागू करने के कारण देशभर के किसान आंदोलन के पथ पर हैं। एआईबीईए ने उनकी मांगों का समर्थन करते हुए तथा उनके साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की है जिसका अनूदित सार सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

सी.एच. वेंकटचलम्, महामंत्री, ऑल इंडिया बैंक इम्प्लाईज एसोसिएशन द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति ***01.12.2020***

एआईबीईए किसानों और एआईकेएससीसी की मांगों का समर्थन करता है
एआईबीईए संघर्षरत किसानों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदान करता है
एआईबीईए सरकार से उनकी मांगों को हल करने का आग्रह करता है

26 नवम्बर, 2020 को, एआईबीईए के ध्वज तले बैंक कर्मचारियों ने देशभर के लाखों कामगारों के साथ केन्द्र सरकार की विभिन्न कामगार–विरोधी, किसान–विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध हड़ताल की।

संसद द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से पारित किए गए तीन कृषि विधानों को वापस लेने की मांग हड़ताल के महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक थी।

इसलिए हम किसानों और ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांगों का पूरे मन से समर्थन करते हैं।

जारी पृष्ठ 2

हम किसानों के प्रति अपनी पूर्ण एकजुटता भी प्रदान करते हैं जो न्यायोचित संघर्ष पर हैं।

हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि वह आगे आए और देश और किसानों के हित में उनकी मांगों को हल करे।

कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 : इस अधिनियम का अर्थ राज्य–स्तरीय एपीएमसी विधेयकों की उपेक्षा करना है और इसलिए इसे एपीएमसी बाईपास विधेयक के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह विधेयक एपीएमसी के क्षेत्राधिकार को एपीएमसी 'बाजार प्रांगण' तक सीमित करता है। बाजार प्रांगण के बाहर, संस्थायें कृषि उपज में लेनदेन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 : यह विधेयक प्रदान करता है कि संग्रहण सीमायें निर्धारित नहीं हैं सिवाय इसके कि जब कीमतें 100% बढ़ जायें। इसलिए बड़े व्यवसायी बिना किसी प्रतिबंध के विशाल भंडार इकट्ठा कर सकते हैं और बाजार के साथ–साथ कीमत को भी प्रभावित कर सकते हैं।

मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध विधेयक, 2020 : यह विधेयक सीमांत किसानों के अहित के लिए अनुबंध कृषि को सक्षम बनाता है और इस बात की पूरी आशंका है कि कॉर्पोरेट किसानों की जमीन हड़प लेंगे।

किसानों का डर और आशंका बहुत वास्तविक है। व्यवसायी समूहन संभव है। अतः उनकी चिंताओं को दूर करना सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी है।

हम सरकार से उनकी मांगों को हल करने के लिए तत्काल उपाय करने का आग्रह करते हैं।

हम देशभर की अपनी यूनियनों और सदस्यों का आह्वान करते हैं कि इस संबंध में समर्थनकारी और एकजुटता कार्यक्रमों में भाग लें।

ह...
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री